

सं.ए-60011/17/2017-आरटीआई सेल (प्रशा.)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069

दिनांक: 18 सितम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञापन


विषय: संघ लोक सेवा आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पारदर्शिता अधिकारी।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28.12.2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता अधिकारी का विवरण निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाए :-

संयुक्त सचिव (प्रशा.)
संघ लोक सेवा आयोग
कमरा सं. 105- एनेक्सी भवन,
धौलपुर हाउस,
शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069
दूरभाष सं. 011-23070831

2. पूर्वोक्त के अनुक्रम में, और जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही निर्णय लिया हुआ है, पारदर्शिता अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी अनुपालन के लिए निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेंगे :-

- लोक प्राधिकारियों द्वारा धारा 4 के उत्तरदायित्वों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण और उच्च प्रबंधन को इसकी प्रगति को अनुमोदित करना।
- उपर्युक्त (i) की प्रगति के बारे में केन्द्रीय सूचना आयोग के लिए इंटरफेस होना।
- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों, डीम्ड-सीपीआईओ द्वारा आरटीआई आवेदनों/अनुरोधों के सकारात्मक एवं समय पर उत्तर प्रदान करने के लिए अनुकूल स्थितियां तैयार करने में मदद करना।
- सभी आरटीआई संबंधी मामलों में जनता के लिए एक संपर्क बिन्दु होना।



(राजीव भारद्वाज)

अवर सचिव/परामर्शदाता (ओ एण्ड एम/आरटीआई)

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय सूचना आयोग
सी आई सी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग
मुनरिका, नई दिल्ली-110067.

